



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/479

08.09.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: ऑनलाइन डीमड एक्सपोर्ट एप्लीकेशन मॉड्यूल-एफटीपी 2015-20 के संबंध में - अनुपालन हेतु दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति-संबंधी।

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या- 10/2025-26 दिनांक 28.07.2025

यह सूचित किया जाता है कि डीजीएफटी कार्यालय ने ऑनलाइन डीमड एक्सपोर्ट एप्लीकेशन मॉड्यूल-एफटीपी 2015-20 के संबंध में एक व्यापार नोटिस जारी किया है - अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति।

इस संदर्भ में, डीमड एक्सपोर्ट्स के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। अब से, क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व में नोटिस 12/2021-22 में जारी दिशानिर्देश/प्रक्रिया का पालन करें।

कृपया अपने संदर्भ के लिए नीचे संलग्न व्यापार सूचना देखें

यह आपकी जानकारी के लिए है

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल